

न्यायालय उपस्थान्त अधिकारी रामगढ़ पंचवासा जिला दीरा

द्वारा या पत्रावली तथा इतिहासगत पत्र

किसी व काल
नियम के हिसाब
से ही पत्रावली
को जारी हो।

रामगढ़ पंचवासा जिला दीरा
पत्रावली के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया जाता है कि
पत्रावली के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया जाता है कि
पत्रावली के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया जाता है कि
पत्रावली के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया जाता है कि

12.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील नारीका
ह इतिवारीका की ओर से भी पत्रावली
द्वारा शर्मा के सम्बन्ध में न्यायालय
दावा पेश किया। तत्काल दिवस
शान्ति मिलान किया गया। पत्रावली
पत्रावली दिनांक 12.6.25 को पेश हो।

13.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उजयपत्त
उपका वकील उजयपत्त की प्राणिकी
पर बहम खुली गई। पत्रावली
पत्रावली दिनांक 27.6.25 को पेश हो।

P.O. की
मार्फत
पत्रावली
C.W.

27.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील
उजयपत्त उपका वकील उजयपत्त
दिनांक 18.7.25 को पेश हो।

[Handwritten signature]

Note Press
[Handwritten signature]

10/7/25 पत्रावली प्राण पत्र मिलान वकील
पेश होने पर बहम की गई। वकील
वारी अपना दाद-पत्र आगे नहीं
चलाता चाहते हैं नौर-उजय में
रवारिक करवाना चाहते हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राभगढ़ पंचवारा जिला की

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही भंग इतिविधित्त जज

पृष्ठ
कवक
हुक्म
की

शेजुवाण बनाप नीडनाप

अर. कादी का काद-पन्न होइ
पुने मर शकारिण किया जाता है
पनावणी जैलाय शुमार होकर का
रुमित्य दारिवेल इफर हो



उपखण्ड अधिकारी
राभगढ़ पंचवारा जिला